कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 96 /XXV–101 / 2013 देहरादून : दिनांक 16 फरवरी, 2013

सेवा में,

श्री अवनीश कुमार,
संवाददाता, हिन्दुस्तान समाचार,
पटेल मार्ग, निकट पूर्ति कार्यालय,
कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत वांछित सूचनाओं से संबंधित अपने आवेदन पत्र दिनांक 21 जनवरी, 2013, जो इस कार्यालय को लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के माध्यम से दिनांक 08 फरवरी, 2013 को प्राप्त है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त पत्र के माध्यम से लाभ के पद के संबंध में वांछित 05 बिन्दुओं के क्रम में लाभ के पद से संबंधित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971)(संशोधन अधिनियम 2008) (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2008) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

क्रम संख्या–266

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ए0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 22 दिसम्बर, 2008 ई0

पौष 01, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 202/XXXVI(3)/42/2008

देहरादून, 22 दिसम्बर, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम सं0 09, वर्ष 2008 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2008)

[भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम बनाया जाता है]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अधिनियम है।

(2) यह 19 नवम्बर, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 3 में संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 के खण्ड (भ) में पूर्व निकायों के अतिरिक्त निम्नलिखित निकाय अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्—

"(27) सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम अनुश्रवण परिषद्।

(28) सम्पूर्ण रोजगार गारन्टी योजना अनुश्रवण परिषद्।

(29) समेकित बाल विकास परियोजना अनुश्रवण परिषद्।

(30) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अनुश्रवण एवं सलाहकार परिषद्।

(31) राज्य बागवानी बोर्ड।

(32) जलागम प्रबन्ध परियोजनायें अनुश्रवण विकास परिषद्

(33) उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद्।

(34) उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण।

(35) अनुसूचित जाति/जनजाति विकास परिषद्।

(36) जनजाति क्षेत्र विकास परिषद्।

(37) प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद्।

(38) राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सलाहकार एवं अनुश्रवण परिषद्।

(39) राज्य ऊर्जा सलाहकार परिषद्।

(40) राज्य वन्य जीव सलाहकार परिषद्।

(41) आवास एवं विकास परिषद्।

(42) शहरी विकास परियोजना अनुश्रवण परिषद्।

(43) सर्व शिक्षा अभियान विकास एवं अनुश्रवण परिषद्।

(44) ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें अनुश्रवण परिषद्।

(45) सीमान्त क्षेत्र कार्यक्रम अनुश्रवण परिषद्।

(46) राज्य स्तरीय लघु सिंचाई अनुश्रवण परिषद् (गढ़वाल मण्डल)।

(47) राज्य स्तरीय लघु सिंचाई अनुश्रवण परिषद् (कुमाऊँ मण्डल)।

(48) पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति।

(49) समाज कल्याण योजनायें अनुश्रवण समिति।

(50) हथकरघा एवं हस्त शिल्प विकास परिषद्।

(51) राज्य जैविक उत्पाद परिषद्।

(52) उत्तराखण्ड लाईव स्टाक डेवलपनेन्ट बोर्ड।

(53) वन एवं पर्यावरण सलाहकार एवं अनुश्रवण परिषद्।

(54) राज्य फिल्म सलाहकार परिषद्।"

3—उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 03, वर्ष 2008) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The 'Uttarakhand [The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971] (Amendment) Bill 2008, (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 09 of 2008).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 19th December, 2008.

No. 202/XXXVI(3)/42/2008
Dated Dehradun, December 22, 2008

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND [THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1971] (AMENDMENT) ACT, 2008

(UTTARAKHAND ACT No. 09 OF 2008)

Further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (as applicable to the State of Uttarakhand) in the context of the State of Uttarakhand.

AN

Act

[It is hereby enacted in the Fifty Ninth year of the Republic of India as follows]

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand [The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971] (Amendment) Act, 2008. Short Title and Commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on November 19, 2008.

2. In addition to the existing bodies in Clause (x) of Section 3 of The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (as applicable to the State of Uttarakhand), the following bodies shall be inserted, namely-- Amendment in Section 3

"(27) Sampurna Saksharta Karyakram Anushrawan Parishad.

(28) Sampurna Rojgaar Guarantee Yojna Anushrawan Parishad.

(29) Samekit Bal Vikaas Pariyojna Anushrawan Parishad.

(30) Rashtriya Gramin Swasthyaya Anushrawan Avam Salahakar Parishad

(31) Rajya Bagwani Board.

(32) Jalagam Prabandh Pariyojnayen Anushrawan Vikaas Parishad.

(33) Uttarakhand Rajya Stariya Payjal Anushrawan Parishad.

(34) Uttarakhand Akshay Urja Vikaas Abhikaran.

(35) Anucuchit Jati/Janjati Vikaas Parishad.

(36) Janjati Kshetra Vikaas Parishad.

(37) Pradhanmantri Gramin Sarak Yojna Rajya Stariya Anushrawan Parishad.

(38) Rajya Khadya Avam Nagrik Apurti Salahakar Avam Anushrawan Parishad.

(39) Rajya Urja Salahakar Parishad.

(40) Rajya Vanya Jeev Salahakar Parishad.

(41) Avas Avam Vikaas Parishad.

(42) Shahari Vikaas Pariyojna Anushrawan Parishad.

(43) Sarwa Shiksha Abhiyan Vikaas Avam Anushrawan Parishad.

(44) Gramin Abhiyantaran Sewayen Anushrawan Parishad.

(45) Seemant Kshetra Karyakram Anushrawan Parishad.

(46) Rajya Stariya Laghu Seenchai Anushrawan Parishad (Garhwal Mandal).

(47) Rajya Stariya Laghu Seenchai Anushrawan Parishad (Kumaun Mandal).

(48) Pandrah Sutriya Karyakram Kriyanwayan Samiti.

(49) Samaj Kalyan Yojnayen Anushrawan Samiti.

(50) Hathkargha Avam Hastshilp Vikaas Parishad.

(51) Rajya Jevik Utpad Parishad.

(52) Uttarakhand Live Stock Development Board.

(53) Van Avam Paryawaran Salahakar Avam Anushrawan Parishad.

(54) Rajya Film Salahakar Parishad."

Repeal

3. The Uttarakhand (The Uttar Pradesh State Legislative (Prevention of Disqualification) Act, 1971] (Amendment) Ordinance, 2008 (Uttarakhand Ordinance No. 03 of 2008) is hereby Repealed.

By Order,

RAM DATT PALIWAL,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 23 विधायी / 892--2008—100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1971}

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1971

[U. P. Act No. 15 of 1971]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971[1]

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1971}

राष्ट्रपति अधिनियम सं0 14, 1973 तथा उ0प्र0 अधिनियम सं0 30, 1974 द्वारा संशोधित

{उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 8 मई, 1970 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 14 जुलाई, 1971 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 17 जुलाई, 1971 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 19 जुलाई, 1971 ई0 को प्रकाशित हुआ।}

शासन के अन्तर्गत कुछ लाभप्रदर पदों में यह घोषित करने के लिए कि उन पर अध्यासित व्यक्ति उन पदों के कारण राज्य विधान मण्डल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे,

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 कहलायेगा।

परिभाषाएं

2–– जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) "प्रतिकर भत्ता" का तात्पर्य किसी पदधारी को दैनिक भत्ता, सवारा भत्ता, गृह किराया भत्ता या यात्रा भत्ता के रूप में इस प्रयोजन से देय धनराशि से है, जिससे कि वह उक्त पद के कृत्यों का संपादन करने में अपने द्वारा किये गये व्यय की पूर्ति कर सके, ऐसे भत्ते, दैनिक भत्ता, गृह किराया भत्ता या यात्रा भत्ता की दश में, न तो उन दरों से अधिक हो और न उन शर्तों से अधिक अनुकूल शर्तों पर ग्राह्य हो, जो संविधान के अनुच्छेद 195 के अधीन बनाये गये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रयोज्य हो;

(ख) "परिनियत निकाय" का तात्पर्य किसी निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों के अन्य निकाय से है, चाहे वह निगमित हो या न हो, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित हो;

(ग) "अपरिनियत निकाय" का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे निकाय से है, जो परिनियत निकाय न हो;

(घ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

कुछ लाभप्रद पद अनर्ह न करेंगे

3–– एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई पद, जहां तक वह भारत सरकार या भारत सरकार के अन्तर्गत कोई लाभप्रद पद हो, उसके धारक को राज्य विधान मण्डल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए न तो अनर्ह करेगा और न कभी भी अनर्ह किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :–

(क) संघ या राज्य के किसी राज्य मंत्री या उपमंत्री का पद अथवा किसी मंत्री के सभा सचिव का पद;

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 23 जुलाई, 1969 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

(ख) नेशनल कैडेट कोर ऐक्ट, 1948, टेरिटोरियल आर्मी ऐक्ट, 1948 या रिजर्व ऐण्ड आग्जीलियरी एयन फोर्सेज ऐक्ट, 1952 के अधीन संग्रहीत या अनुरक्षित किसी दल के किसी सदस्य का पद;

(ग) जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, भारतीय स्थल सेना, भारतीय वायु सेना या भारतीय नौ सेना या रक्षित दल के किसी अधिकारी का पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय या नागरिक सुरक्षा सेवा के किसी अध्यक्ष का पद;

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघठित होम गार्ड्स में कोई पद;

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघटित किसी ग्राम सुरक्षा दल (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) में कोई पद;

(च) किसी विश्वविद्यालय के सिंडिकेट, सेनेट, कार्यकारिणी समिति, परिषद् या कोर्ट अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अन्य निकाय के या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था की प्रबन्ध समिति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(छ) किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा भारत के बाहर भेजे गये किसी प्रतिनिधि मण्डल या शिष्ट मण्डल के सदस्य का पद;

(ज) राज्य सरकार के नियोजन विभाग में राज्य मूल्यांकन सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद;

(झ) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट सदस्य अथवा सभापति का पद;

(ञ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सिंचाई आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ट) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्रम आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ड) लोक महत्व के किसी विषय के सम्बन्ध में भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह लेने के लिए या किसी ऐसे विषय के संबंध में जांच करने अथवा आंकडे संग्रहित करने के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई किसी समिति के (चाहे उसमें एक सदस्य या अधिक सदस्य हों) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अथवा सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

(ढ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खण्ड (ज), खण्ड (झ),खण्ड (ञ), खण्ड (ट), खण्ड (ठ) या खण्ड (ड) में अभिदिष्ट किसी ऐसे निकाय से भिन्न किसी परिनियत या अपरिनियत निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक, सदस्य या सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

ऐक्ट सं0 31, 194
ऐक्ट सं0 56, 194
ऐक्ट सं0 62, 195;

(ण) किसी ग्राम राजस्व अधिकारी का पद, चाहे उसे लम्बदार, प्रधान, सरग्रोह, मालगुजार, ग्राम सयाना, खात सयाना के नाम से या किसी अन्य नाम से पुकारा जाय, जिसका कार्य मालगुजारी वसूल करना हो और जिसे उसके द्वारा वसूल की गयी मालगुजारी का अंश या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक दिया जाय, किन्तु जो पुलिस के किन्हीं कृत्यों को न करता हो;

(त) इंडियन सिक्योरिटीज ऐक्ट, 1920 में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों या भारत सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं बचत प्रमाण–पत्रों की बिक्री के लिए अथवा उसके अंशदानों के संग्रहण के लिए किसी ऐजन्ट का (कमीशन पर या बिना कमीशन पर) पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय;

(थ) संविधान के अनुच्छेद 31–क के खण्ड (1) उपखण्ड (ख) के अधीन बनाई गई विधि के अन्तर्गत सीमित अवधि के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गयी किसी सम्पत्ति के प्रबन्ध के लाभप्रद पद, जब वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धृत हो जो इस प्रकार उक्त सम्पत्ति के अधिकार में लिये जाने के पूर्व से उसके प्रबन्ध के संबंध में सेवायोजित हो;

(द) कोई पद, जो किसी विशेष कर्तव्य का पालन करने के लिए पूर्णकालिक पद न हो, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

(ध) पैनेल के वकील का पद (जिसके अन्तर्गत) 1950 ई0 का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम की धारा 127–ख के अधीन नियुक्त कोई पैनेल का वकील भी हो), यदि ऐसे पद का धारक किसी प्रतिधारण या वेतन, उसे चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के लिए हकदार न हो;

(न) लेख्य–प्रमाणक या शपथ अधिकारी का पद या किसी न्यायालय या कलेक्टर द्वारा नियुक्त कमिश्नर अथवा अदाता अथवा एमीकस ग्यूरी का पद अथवा सरकारी अदाता किन्तु इसके अन्तर्गत सरकारी परिसमापक का पद नहीं है।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव के पद के अन्तर्गत उसी प्रकार के सभी पद होंगे, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

{(प) राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद;

(फ) राज्य सरकार के पंचायती राज (2) विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 4519–बी/33–111–71, तारीख 13 दिसम्बर, 1971 द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ब) राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा नियुक्त राजस्व न्यायिक पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद;

(भ) निम्नलिखित अकानूनी निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पद, अर्थात्:–

(1) उत्तर प्रदेश स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन।

(2) उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन।

(3) उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन।

(4) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

(म) निम्नलिखित अकानूनी निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पद, अर्थात्:–

(1) उत्तर प्रदेश स्टेट स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड।

(2) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड।

(3) उत्तर प्रदेश सिमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड।

(4) उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड।

(5) उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड।

(6) उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड।

(7) उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिजेज कारपोरेशन लिमिटेड।

(8) उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन।

(9) हिल डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड।

(10) प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड।

(11) इडियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड।

(12) उत्तर प्रदेश स्टेट हैन्डलूम कारपोरेशन।

(13) पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड।

(14) बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड।

(य) उत्तर प्रदेश में वक्फों के सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड या शिया सेन्ट्रल बोर्ड के, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का नियंत्रक, यदि कोई हो, का पद।}[1]

4–– निम्नलिखित अधिनियम एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं :–

(1) दि यूनाइटेड प्रोविन्सेज लेजिस्लेटिव मेम्बर्स रिमूवल आफ डिसक्वालिफिकेशन ऐक्ट, 1940;	यू0पी0 ऐक्ट सं0 7, 1940
(2) उत्तर प्रदेश सभा सचिव (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1950;	उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 2, 1950
(3) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1951	उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 19, 1951
(4) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1952;	उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 4, 1952
(5) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, 1952	उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 13, 1952
(6) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, 1953	उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 20, 1953

1. राष्ट्रपति अधि0 सं0 14, 1973 की धारा 2 द्वारा 12.06.1973 से प्रतिस्थापित।

(7) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) अधिनियम, 1954	उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 23, 1954
(8) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1955	उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 16, 1955
(9) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1956	उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 35, 1956
(10) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, 1953	उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 3, 1957

सूचना
का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 1335 विशेष वाहक द्वारा /रा.नि.आ.-1/1383/2013

दिनांक 07/2/2013

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पत्र प्राप्ति का दिनांक- 08/02/2013
रजिस्टर क्रमांक-36 पत्रावली संख्या-

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
4-सुभाष रोड़, सचिवालय, परिसर
देहरादून।

Jt. CEO

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
8/2/13

महोदय,

कृपया संलग्न श्री अवनीश कुमार, संवाददाता हिन्दुस्तान समाचार, पटेल मार्ग, निकट पूर्ति कार्यालय कोटद्वार गढ़वाल का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 28.01.2013 जो आयोग में दिनांक 05.02.2013 को प्राप्त हुआ है। उक्त अनुरोध पत्र की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई सूचना जो आपके विभाग से संबंधित हो, कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आवेदन पत्र के साथ रूपये-10/- का पोस्टल आर्डर संख्या-12F 479403 शासकीय खाते में जमा करा दिया गया है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-सूचना का अनुरोध पत्र (छायाप्रति)

भवदीय,

(अजीत सिंह),
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक आयुक्त।

संख्या- /रा0नि0आ0अनु-1/1383/2013 तद्दिनांक।(स्पीड पोस्ट)
प्रतिलिपि सूचनार्थ- श्री अवनीश कुमार, संवाददाता हिन्दुस्तान समाचार, पटेल मार्ग, निकट पूर्ति कार्यालय कोटद्वार गढ़वाल-मो0-9410932628 ।

(अजीत सिंह),
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक आयुक्त।

निर्वाचन भवन, लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष / 2670457,2670998
टैलीफैक्स: 2670920,2678945

1136
5/2/13

सेवा मे,

श्रीमान लोकसूचनाधिकारी

चुनाव आयोग उत्तराखण्ड

विषय – सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ।

मान्यवर,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थी को निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रदान करने की कृपा करे । जिसके लिए दस रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न है जिसका नम्बर 479403 है ।

1 अध्यक्ष नगर पालिका परिषद व सदस्य विधान सभा उत्तराखण्ड दोनो लाभ के पद है या नही ।
2 यदि ये दोनो पद लाभ के है तो , क्या एक व्यक्ति दो लाभ के पदो पर एक समय आसीन हो सकता है या नही ।
3 यदि कोई व्यक्ति इन दोनो लाभ के पदो पर आसीन हो तो चुनाव आयोग के अन्तर्गत इस पर क्या कार्यवाही होनी चाहिये ।
4 उत्तराखण्ड मे क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे दो लाभ के पदो पर आसीन है ।
5 रूडकी विधानसभा से विधायक एवं अध्यक्ष नगर पालिका परिषद रूडकी प्रदीप बत्रा किस नियम व धारा के अन्तर्गत दो लाभ के पदो पर आसीन है ।

प्रार्थी

अवनीश कुमार , संवाददाता - हिन्दुस्थान समाचार
पटेल मार्ग, निकट पूर्ति कार्यालय
कोटद्वार गढवाल
मो० 9410932628